निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 301) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

6 जनवरी 2014

सं0 1853––बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी, वारी पथ, बाकरगंज, पटना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–935 है। अतीत में यह न्यास अत्यन्त प्रतिष्ठित, गौरवशाली तथा धार्मिक आस्था का केन्द्र रहा है। इसके पटना सहित राजगीर, अयोध्या, मथुरा एवं वृन्दावन स्थित अनेक शाखाएँ हैं, जिनमें पर्याप्त सम्पत्ति है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मिस0 अपील संख्या–205/2001 में दिनांक 11.04.2007 के अपने निर्णय में इसके प्राचीन गरिमा को पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं बेहत्तर प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–550, दिनांक 29.08.2008 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के तहत एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षो के लिए किया गया था। इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पश्चात् अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–374, दिनांक 28.05.2013 द्वारा न्यायमूर्त्ति (अ0 प्रा0) श्रीमती मृदुला मिश्रा को इस न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया है। अस्थायी न्यासधारी के एक वर्ष की कार्यावधि पूरी होने के पूर्व न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी, बारीपथ, बाकरगंज, पटना के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एव सुव्यवस्था तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण और इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत निरूपित इस योजना का नाम ***" बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी न्यास योजना"*** होगा और इसके कार्यान्वयन तथा संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ***"बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी न्यास समिति"*** होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों, मार्केट एवं अन्य परिसरों तथा विभिन्न शाखाओं में स्थित परिसम्पत्तियों के संधारण, प्रबंधन एवं संचालन का अधिकार होगा।

2. इस न्यास समिति में न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण (पोजेशन), संरक्षण तथा प्रशासन एवं संचालन की शक्तियाँ निहित होगी।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी की परम्परा को अक्षुण्ण रखने तथा पूजा–पाठ, राग–भोग, उत्सव–समैया, साधु–अभ्यागत की सेवा सुनिश्चित करना होगा।

4. न्यास समिति इस न्यास की समस्त ज्ञात एवं अज्ञात भू–खण्डों का पता लगाकर उस पर कब्जा के लिए सभी वैधानिक कार्रवाई करेगी। साथ ही न्यास से संबंधित भूमि विवादों, अनाधिकृत रूप से दखल एवं अतिक्रमित भूमि, भवन, मार्केट एवं दूकानों को विधि सम्मत तरीके से न्यास के अधिकार में लेने एवं न्यास की अवैध रूप से बेची गई जमीन की वापसी के लिए समुचित कार्रवाई करेगी।

5. न्यास समिति मन्दिर की जर्जर भवन को भव्य रूप देने के कार्य को प्राथमिकता देगी।

6. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम खोले गये बैक खाता में जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा। बैक खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

7. न्यास की आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखी जायेगी तथा आय–व्यय का सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय प्रेषित की जायेगी।

9. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जिसमें दान/चढ़ावा की राशि डाली जायेगी। विशेष चन्दा एवं उपहारों के लिए दाताओं को उचित पावती दी जायेगी और उन्हें सत्यापित पंजी में प्रविष्ट कर प्रदर्श के रूप में रखी जायेगी। मन्दिर में सम्पन्न होने वाले मांगलिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि से अधिक नहीं ली जायेगी और इनका समुचित लेखा संधारण किया जायेगा।

10. मन्दिर परिसर में स्वच्छता, जलापूर्त्ति, बिजली एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए न्यास समिति विशेष रूप से तत्पर रहेगी। विशेष आयोजनों यथा रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि त्योहारों पर भक्तों के सुविधा का ख्याल रखा जायेगा।

11. न्यास सम्पत्ति का उपयोग लोक कल्याण के कार्यो, निर्धन छात्रों के लिए विद्यालय, छात्रावास, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने आदि के लिए किया जायेगा। इसके लिए कार्य योजना का प्रस्ताव पर्षद को समर्पित कर उसका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

12. न्यास समिति मन्दिर में योग्य अर्चकों की नियुक्ति करेगी ताकि भगवान का पूजा–पाठ एवं राग–भोग परम्परा के अनुसार विधिवत् सम्पन्न हो।

13. न्यास समिति द्वारा कोई नई योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को भेजेगी।

14. न्यास समिति अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन बजट आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

15. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्त्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

16. न्यास समिति सभी राजस्व शुल्क, पर्षद शुल्क तथा होल्डिंग टैक्स का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

इस योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) न्यायमूर्त्ति (अ0 प्रा0) श्रीमती मृदुला मिश्रा – अध्यक्ष

(2) श्री ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार, पूर्व कुलपति, (ल0 ना0 मिश्रा संस्कृत विश्वविद्यालय)
75/सी0 पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 – उपाध्यक्ष

(3) श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0 प्र0 से0,
विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना – सचिव

(4) श्री कुमार शैलेन्द्र, भवानी भवन, जगतनारायण रोड,
कदमकुँआ, पटना–3 – सह सचिव

(5) श्री गणेश खेतरीवाल, मथुरा प्रसाद सिंह रोड,
(नागा बाबा ठाकुरबाड़ी के समीप) कदमकुँआ, पटना–3 – सदस्य।

उपर्युक्त योजना **दिनांक 01.01.2014** से प्रभावी होगा और न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 301-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in